राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 505/2016/जयपुर
2. अपील संख्या – 506/2016/जयपुर
3. अपील संख्या – 507/2016/जयपुर
4. अपील संख्या – 508/2016/जयपुर
5. अपील संख्या – 509/2016/जयपुर
6. अपील संख्या – 510/2016/जयपुर
7. अपील संख्या – 511/2016/जयपुर

मैसर्स चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एण्ड फाईनेन्स कम्पनी,
10ए, सांखला आर्केड, प्रथम तल, पंजाब नेशनल बैंक,
न्यू सांगानेर रोड़, जयपुर। .....अपीलार्थी

बनाम

सहायक आयुक्त,
प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत तृतीय, जयपुर। .....प्रत्यर्थी

एकलपीठ
श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री विवेक सिंघल, अभिभाषक। .....प्रार्थी की ओर से
श्री एन.के.बैद
उप राजकीय अभिभाषक ..... राजस्व की ओर से

दिनांक : 08.03.2018

निर्णय

1. यह सातों अपीलें अपीलार्थी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी तृतीय, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित अपीलीय आदेश दिनांक 27.01.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं, जिसमें अपीलार्थी व्यवहारी ने सहायक आयुक्त, प्रतिकरापवंचन, राजस्थान वृत तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 55 के तहत पारित आदेश दिनांक 11.03.2015 के जरिये कायम की गयी मांग राशियों को अपीलीय अधिकारी द्वारा पुष्टि किये जाने को विवादित किया है। आरोपित ब्याज राशियों का विवरण निम्न तालिका अनुसार है :–

क्र. स.	अपील संख्या	अपीलीया अधिकारी की अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	ब्याज
1	505/2016	43/अपील्स III/वैट	2006–07	5,05,404
2	506/2016	44/अपील्स III/वैट	2007–08	82,980
3	507/2016	45/अपील्स III/वैट	2008–09	46,360
4	508/2016	46/अपील्स III/वैट	2009–10	63,919
5	509/2016	47/अपील्स III/वैट	2010–11	21,440
6	510/2016	48/अपील्स III/वैट	2011–12	23,514
7	511/2016	49/अपील्स III/वैट	2012–13	28,238

निरन्तर.....2

2. सातों प्रकरणों के तथ्य एवं विवादित बिन्दु समान होने के कारण इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जावे।

3. प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि सशक्त अधिकारी द्वारा अपीलार्थी कम्पनी का आलोच्य वर्षों के मूल कर निर्धारण पारित किये जाकर मांग सृजित की गई जिसे अपीलार्थी द्वारा राजकोष में विलम्ब से जमा करवाये जाने के कारण अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत ब्याज राशि का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपीलें प्रस्तुत की गईं, जिन्हें अपीलीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27.01.2016 के द्वारा अस्वीकार किया, जिससे व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह सातों अपीलें अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

4. अपीलार्थी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कथन किया कि मांग राशि विलम्ब से जमा होने पर सशक्त अधिकारी ने कर एवं ब्याज की राशि के साथ–साथ शास्ति जो कि कर बोर्ड के आदेश दिनांक 16.02.2017 द्वारा अपस्त कर दी गई थी, पर भी ब्याज की गणना की गई है, जो अविधिक है। अतः उन्होंने सशक्त अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों को अपास्त करते हुए प्रस्तुत अपीलों को स्वीकार करने का निवेदन किया।

5. विभाग की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने सशक्त अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेशों का समर्थन करते हुए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपीलों को अस्वीकार करने का निवेदन किया।

6. उभयपक्षीय बहस सुनी गई एवं प्रस्तुत रिकॉर्ड का परिशीलन किया गया। प्रस्तुत प्रकरणों में व्यवहारी द्वारा मांग राशियों को समय पर जमा नहीं कराने के कारण सशक्त अधिकारी ने ब्याज का आरोपण किया है। उल्लेखनीय है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा वर्ष 2006–07 से 2012–13 के लिये पारित कर निर्धारण आदेशों दिनांक 15.04.2013 में कर, ब्याज एवं शास्ति का आरोपण किया गया था। इन कर निर्धारण आदेशों के विरूद्ध अपील किये जाने पर अपीलीय आदेश दिनांक 05.05.2014 द्वारा कर निर्धारण अधिकारी के आदेशों की पुष्टि करते हुए कर, ब्याज एवं शास्ति की सृजित मांग की पुष्टि की गई। अपीलार्थी द्वारा अपीलीय आदेश के विरूद्ध कर बोर्ड के समक्ष अपील पेश किये जाने पर निर्णय दिनांक 16.02.2017 द्वारा अपीलें आंशिक स्वीकार करते हुए कर एवं ब्याज आरोपण की पुष्टि की गई तथा शास्ति अपास्त की गई।

7. कर निर्धारण अधिकारी के रिकॉर्ड के अवलोकन से प्रकट होता है कि ब्याज सम्बन्धी आदेशों में कर एवं ब्याज की मांग राशि के अतिरिक्त शास्ति के सम्बन्ध में विलम्ब से जमा राशि पर भी ब्याज आरोपित किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु कुल आरोपित मांग राशि जिनकी कर बोर्ड द्वारा पुष्टि की गई तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज आरोपण हेतु विलम्ब से जमा मानी गई राशियों का विवरण आगे दी गई सारिणी में दिया जा रहा है :–

निरन्तर.....3

अपील संख्या	कर निर्धारण वर्ष	आरोपित कर	आरोपित ब्याज	आरोपित शास्ति	सृजित कुल मांग राशि	कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 16.02.2017 के अनुसार upheld की गई मांग राशि	जमा राशि जिस पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ब्याज आरोपित किया गया है
1	2	3	4	5	6	7	8
1242/14	2006–07	18,63,060	14,53,187	37,27,120	70,43,367	33,16,247	68,58,061
1243/14	2007–08	3,06,880	2,02,541	6,13,760	11,23,181	5,09,421	10,92,493
1244/14	2008–09	1,71,960	92,858	3,43,920	6,08,738	2,64,818	5,91,542
1245/14	2009–10	2,37,793	99,873	4,75,586	8,13,252	3,37,666	7,89,473
1246/14	2010–11	80,000	24,000	1,60,000	2,64,000	1,04,000	2,56,000
1247/14	2011–12	88,000	15,840	1,76,000	2,79,840	1,03,840	2,71,040
1248/14	2012–13	1,06,000	6,360	2,12,000	3,24,360	1,12,360	3,13,760

उपरोक्त सारणी के कॉलम संख्या 7 एवं 8 के अवलोकन से स्पष्ट है कि कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 16.02.2017 के प्रकाश में कर एवं ब्याज की मांग राशि जो कि विलम्ब से जमा करवायी गई हो, पर ही ब्याज गणना की जानी चाहिये थी। परन्तु कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कॉलम 7 में उल्लेखित उक्त राशि से अधिक राशि जिसे की कॉलम 8 में दर्शाया गया है पर ब्याज आरोपित किया है, जो कि अविधिक होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

8. चूंकि राजस्थान कर बोर्ड द्वारा निर्णीत अपील संख्या 1242 से 1245/2014/जयपुर, निर्णय दिनांक 16.02.2017 में शास्ति को अपास्त किया गया था, अतः शास्ति की जमा राशि पर आरोपित किया गया ब्याज अपास्त किया जाता है तथा प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि कर बोर्ड के निर्णय दिनांक 16.02.2017 का प्रभाव देते हुए उस आदेश में पुष्टि की गई कर एवं ब्याज की विलम्ब से जमा की राशि पर ही ब्याज की पुर्नगणना करते हुए आदेश पारित करे।
9. परिणामस्वरूप अपीलार्थी की अपीलें स्वीकार की जाती है तथा प्रकरण सशक्त अधिकारी को ब्याज की निर्देशानुसार पुनर्गणना हेतु प्रतिप्रेषित किया जाता है।
10. निर्णय सुनाया गया।

(ओमकार सिंह आशिया)
सदस्य